

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

पटवार रोझा

बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:-

136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा...30/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/02/21	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरणसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिकॉर्ड तहसीलदार लूनकरणसर पटवार मण्डल रोझा द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल रोझा के चक 16CHD की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में खाता संख्या 74 में मु.नं. 209/20 के किला नम्बर 19/2/1.0, 20/2/1.0, 21/2/1.0, 22/2/1.0, कुल 4.0 बीघा कमाण्ड व खाता संख्या 22 में मु.नं. 209/20 के कि.नं. 19/1/1.0, 20/1/1.0, अनकमाण्ड व खाता संख्या 51 में मु.नं. 209/20 के किला नम्बर 21/1/01.0, 22/2/01.0, अनकमाण्ड दर्ज हैं। अतः इस प्रकार मु.नं. 209/20 के कि.नं. 19ता22 की दोहरी प्रविष्टी हो गई है। खाता संख्या 74 जो कि लाधू जगदीश पि0 नानूराम कौम जाट साकिन रोझा 15AAA (3) मु0आ0 के नाम दर्ज है उनके नाम से जमाबन्दी 2050-2053 में मु.नं. 209/50 के किला नम्बर 19ता22/4.0 बीघा कमाण्ड दर्ज हैं तथा मौके व नक्शे के अनुसार भी सही है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2054-2057 में मु.नं. 209/50 की जगह मु.नं. 209/20 गलत दर्ज हो गया। अतः खाता संख्या 74 में मु.नं. 209/20 की जगह मु.नं. 209/50 व किला नम्बर 19/2, 20/2, 21/2, 22/1 की जगह किला नम्बर 19ता22 तथा खाता संख्या 22 में मु.नं. 209/20 के किला नम्बर 19/1, 20/1 की जगह किला नम्बर 19,20 तथा खाता संख्या 51 में मु.नं. 209/20 के किला नम्बर 21/1, 22/2 की जगह किला नम्बर 21 व 22 किया जाना उचित हैं की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरणसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्ताव में पटवार हल्का रोझा की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर द्वारा दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट मु.नं. 209/50 के स्थान पर मु.नं. 209/20 भूलवश हो गया जिससे मु.नं. 209/20 के किला नम्बर 19 ता 22 में दोहरी प्रविष्टी हो गयी जिसे दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ला दाखिल दफत्तर हों।</p>	

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

